भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1589
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सतना विमानपत्तन का विकास

1589. श्री गणेश सिंहः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार घरेलू उड़ान सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमानपत्तनों की स्थिति से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त विमानपत्तनों में से सतना लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सतना विमानपत्तन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक संचालन शुरू नहीं हुआ है और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सतना विमानपत्तन पर 1,850 मीटर लम्बी हवाई पट्टी का प्रावधान है, लेकिन अभी तक केवल 1,200 मीटर का निर्माण किया गया है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उक्त विमानपत्तन पर हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या उक्त विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतारने संबंधी सुविधा का प्रावधान किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त विमानपत्तन से दिल्ली सहित महानगरों के लिए उड़ानों का संचालन शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वर्तमान में, देश में 159 प्रचालनशील हवाईअड्डे हैं, जो घरेलू उड़ान सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख): मध्य प्रदेश में अवस्थित सतना हवाईपट्टी बोली प्रक्रिया के लिए 'उड़ान' योजना के तहत असेवित हवाईअड्डों की सूची में उपलब्ध है। इस योजना के तहत बोली प्रक्रिया के पांच दौर पूरे होने तक, सतना हवाईअड्डे को जोड़ने वाला कोई भी मार्ग आरसीएस उड़ान परिचालित करने हेतु किसी भी एयरलाइन को अवार्ड नहीं किया गया है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/ उन्नयन वैध बोली के माध्यम से उन्हें चिह्नित करके और चयनित एयरलाइन प्रचालक को अवार्ड किए जाने पर किया जाता है।

(ग): अगस्त 2023 में सतना हवाईअड्डे का बाधा सीमा सर्वेक्षण (ओएलएस) आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में घनी आवासीय बस्ती को बाधा के रूप में चिह्नित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रनवे की लंबाई प्रस्तावित 1,800 मीटर से घटकर 1,200 मीटर हो गई।

(घ): वर्तमान में, सतना हवाईअड्डे को डीजीसीए द्वारा सार्वजनिक उपयोग श्रेणी, एयरोड्रोम संदर्भ कोड (एआरसी) 2बी के तहत डे-वीएफआर (दृश्य उड़ान नियम) परिचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। हवाईअड्डों पर रात्रि लैंडिंग सुविधा का प्रावधान भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकार, यातायात की मांग/ एयरलाइनों की ऐसे हवाईअड्डों से परिचालन करने की इच्छा आदि के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

(ङ): मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, भारतीय घरेलू विमानन को पूर्ण रूप से नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें किसी भी तरह के विमान के साथ क्षमता बढ़ाकर, किसी भी बाजार एवं नेटवर्क का चयन कर सकती हैं। किसी भी हवाईअड्डे से हवाई सेवाएं शुरू करने का निर्णय एयरलाइनों द्वारा उनकी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा एयरलाइनों की नीति के आधार पर लिया जाता है।

*****